...लय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...पत्र संख्या :–86/2022 — दायर दिनांक: 01.06.2022

...S NO:- 2022/163

...ासीन अधिकारी:– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. सुन्दरलाल आ0 गुलाबचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0) (मृतक)

   1/1. जिनेन्द्र कुमार आ0 सुन्दरलाल जाति महाजन निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

   1/2. दिनेश कुमार आ0 सुन्दरलाल जाति महाजन निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

   1/3. विनोद कुमार आ0 सुन्दरलाल जाति महाजन निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

   1/4. राजेश बाई पुत्री सुन्दरलाल पत्नि महावीर जाति महाजन निवासी ग्राम दुगारी हाल निवासी राजपुत कॉलोनी नैनवॉ रोड बून्दी जिला बून्दी (राज0)

   1/5. बदाम बाई पत्नि सुन्दरलाल जाति महाजन निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलेक्टर महोदय, बून्दी (राज0)

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः–अंतर्गत धारा 251(क) आर0टी0 एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री नरेश कुमार मीना।

निर्णय दिनांक 22.12.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम दुगारी तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 4853/703 रकबा 0.9708 हैक्टयर स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खातेदार कृषक है व काबिज चला आ रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में जाने का अर्वालीन रास्ता ग्राम दौलतपुरा से रघुनाथपुरा लिंक रोड में जाने वाले रास्ते में फटकर पश्चिमी ओर चलकर भूमि खसरा संख्या 4835/703 पर पहुंचता है। यह रास्ता सैकडों वर्षो से चला आ रहा है। इस रास्ते का प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट ''अ'' में लाल स्याही से बताया गया है। यह रास्ता 12 फीटा चौडा है जो सकडा पडता है। आवागमन में परेशानी होती है। इस कारण इसे 15 फीट चौडा किया जाना चाहिए। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई दुसरा रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में पहुंचने का नही है। प्रार्थी को इस रास्ते पर होकर अपने खातेदारी भूमि में आवागमन करने, हल, कुली, बैलगाडी, ट्रेक्टर व अन्य कृषि यन्त्र लाने ले जाने रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार व सुखाधिकार भी प्राप्त हो चुका है। परिशिष्ट ''अ'' को भी प्रार्थना पत्र का भाग माना जावे। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित रास्ता नक्शा ट्रेस व अन्य भू–राजस्व अभिलेखों में नही दर्शाया गया है इस कारण आये दिन कोई न कोई वादी को परेशान करने में लग जाता है। प्रार्थी बमुश्किल रास्ता बनाये हुए है इस रास्ते को नक्शा ट्रेश व अन्य भू–राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। [illegible] है कि वे प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 1 वर्णित भूमि पर पहुचने के लिए 15 फुट [illegible] रास्ता उपरोक्त चरणों में दिये गये विवरण के अनुसार राजस्व नक्शा [illegible] प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी एवं नकल [illegible] प्रस्त[illegible]।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में [illegible] प्राप्त की गई। जिसके [illegible] प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 4835/70[illegible] [illegible] संख्या 805 गै0मु0 रा[illegible] सिवायचक (गै0मु0 बडा) खसरा संख्या 5069/703 रकबा 5.5012 हैक्टयर में से रास्ता दिया जाना उचित होगा। यह कि उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। यह कि चाहा गया रास्ता निकटतम है जिसमें निम्नानुसार भूमि काम में आयेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.01.09 16:48:43 IST
Reason: SelfAttested

	खातेदार	किस्म	ल0	चौ0	कुल क्षेत्रफल
/703	सिवायचक	गै0मु0 बर्डा	120 फीट	15 फीट	1800 वर्गफीट
					अर्थात् 0.0167 हैक्ट0

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया । प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। भूमि खसरा संख्या 4835/703 में पहुंचने के लिए सिवायचक (गै0मु0 बर्डा) खसरा संख्या 5069/703 में से 120 फिट लम्बाई एवं 15 फिट चौडाई का प्रस्तावित रास्ते जिसे परिशिष्ट–''क'' नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किया जाकर मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.01.09 15:48:43 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट - "क"

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 09/02/2023 10:18:10 AM

जिला : बूंदी   तहसील : नैनवा   भू. अ. नि. क्षेत्र : बांसी

हल्का : दुगारी   ग्राम : दुगारी

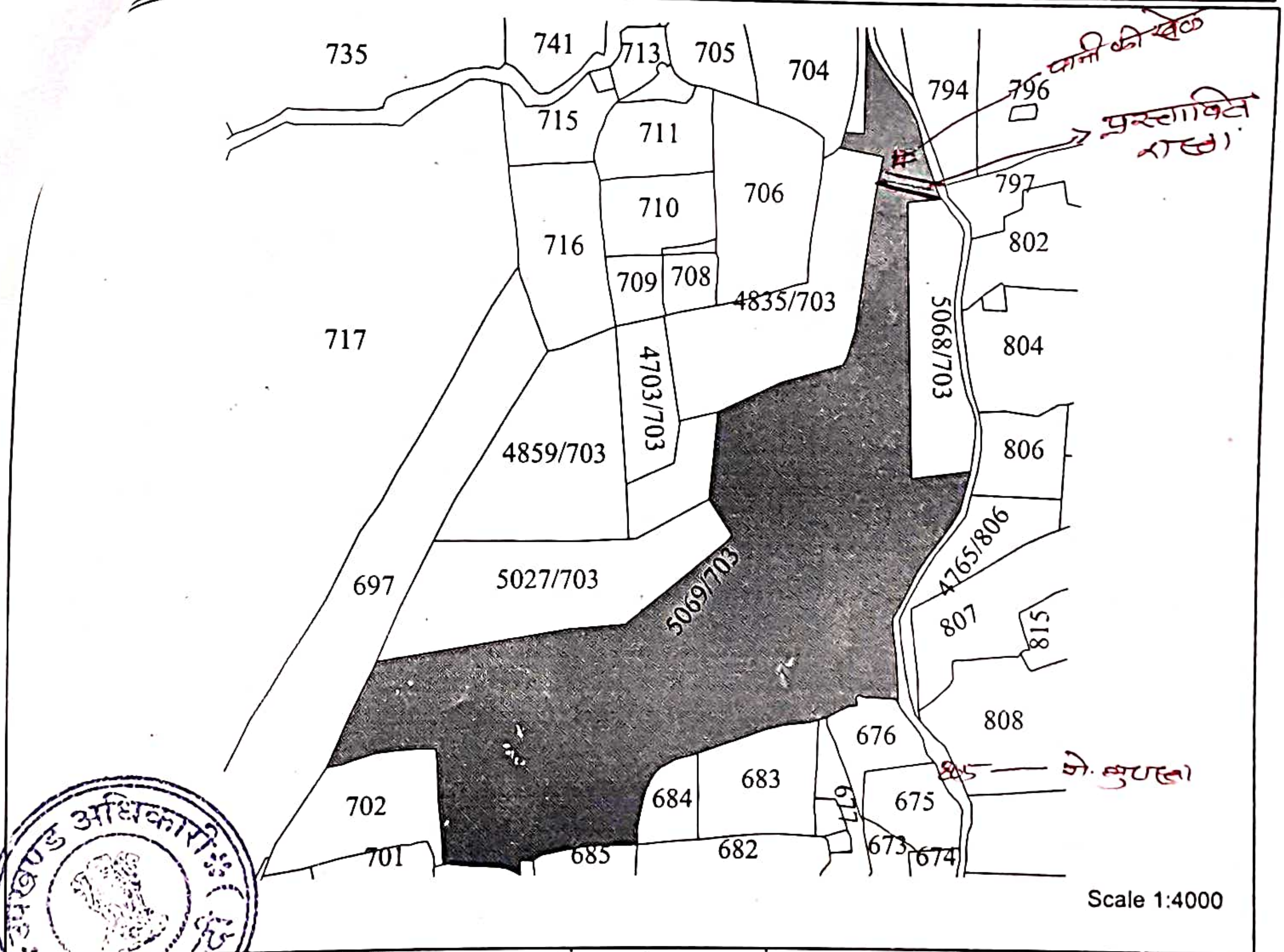

खसरा संख्या : 5069/703 क्षेत्रफल : 5.5012 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]:

ULPIN no : null

रास्ता हेतु दि. 4/2/23 वाली

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

पटवारी - दुगारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.01.09 16:48:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः— रीडर/20 23/ 359 दिनांकः— 26/12/23

प्रेषितिः—

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः—न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु।

वाद/प्रार्थना पत्र संख्या 86/प्रा॰पत्र/2022

बउनवान सुन्दरलाल बनाम तहसीलदार

निर्णय दिनांक 22/12/23

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ ~~प्राथमिक डिक्री~~/~~अन्तिम डिक्री~~/अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः— उक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.01.09 16:48:43 IST
Reason: SelfAttested